



कार्यालय नगरपालिका पिहोवा ।

Opst Jain Hospital, Pin code-136128



Email id:-, secy-pehowa@ulbharyana.gov.in

Phone No:- 01741-221703

सेवा में

जिला नगर आयुक्त, महोदय,
कुरुक्षेत्र।

क्रमांक:- 160/MCP

दिनांक:- 19.01.2026

विषय

हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के सन्दर्भ में ऐरिया सभा के गठन बारे।

विषयाधीन मामले वारे आपकी सेवा में लिखा जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के सन्दर्भ में नगरपालिका पिहोवा द्वारा ऐरिया सभा का गठन किया गया है। जिसकी प्रति आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

सचिव

नगरपालिका पिहोवा।

पृ० क्रमांक 161 / एम.सी.पी.

दिनांक 19.01.2026

उपरोक्त की एक प्रति निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा पंचकूला की सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सचिव

नगरपालिका पिहोवा।

नगरपालिका पिहोवा
सार्वजनिक सूचना

सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगरपालिका भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत नगर प्रशासन/सेवा वितरण में नागरिक भागीदारी को सुदृढ करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक :-159/एम0सी0पी0 दिनांक:-19.01.2025 द्वारा नगरपालिका पिहोवा में एरिया सभाओं का गठन किया गया है। इस आशय बारे सूचना नगर पालिका पिहोवा की वेबसाईट <https://ulbharyana.gov.in/Pehowa/684> पर सभी जनसाधारण के लिए अपलोड कर दी गई है।

अतः सभी जनसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि एरिया सभा के गठन से सम्बंधित शक्तियों व उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी 2008 में वर्णित है। यह अधिनियम नगरपालिका पिहोवा की उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।


सचिव,

नगरपालिका पिहोवा।

Municipal committee Pehowa

ORDER

1 In compliance of the provisions of Haryana Municipal Citizens' participation Act, 2008, Municipal Committee Pehowa has decided to constitute the Area Sabha for each ward to ensure the citizen participation schemes at the local level.

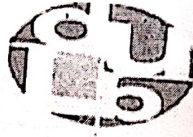
2 The duties and functions of the Area Sabha within their jurisdiction area has been mentioned in section 8 of the Haryana Municipal Citizens' participation Act, 2008 which are reproduced as under:-

- (a) To generate proposals and determine the priority of schemes and development, programmes to be municipality, for inclusion in the development plans of the ward committee or municipality, as the case may be;
- (b) To verify the most eligible persons from the area for beneficiary-oriented schemes on the basis of criteria fixed by Government and prepare a list of eligible beneficiaries in order of priority and forward the same for inclusion in the development plans of the ward or municipality;
- (c) To suggest the location of streetlights, streets, community water taps, public wells, public sanitation units and such other civic amenity schemes within the area;
- (d) To identify the deficiencies in the civic amenities in the area and suggest remedial measures;
- (e) To assist the activities of public health centres in the area, especially in disease prevention and family welfare and create arrangements to report on the incidence of epidemics and natural calamities;
- (f) To provide and mobilize voluntary labour and contributions in cash and kind for development programmes and to supervise such development works through volunteer teams;
- (g) To undertake and support tax mapping and to remind people of the locality of their obligations to pay municipal taxes and user charges.

3. Accordingly, the Area Sabha for each ward of municipal Committee Pehowa is hereby constituted as follows:-

Name of Municipal Council/ Committee:								
Sr.No.	Ward No.	Population of the ward	Area Sabha Number	Booth numbers included in the Area Sabha	Population of the Area Sabha	Number of voter of the ward	Member Secretary for the area sabha (MC employee)	Members of Area Sabha
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1	2949	1	128,129,131,147,148,149	2949	1415	Sh. Lalit Sharma Clerk MC Pehowa	All Voters of Area Sabha
2	2	2886	1	147,148,149,150	2886	1564		----do----
3	3	2330	1	126,127,130,144,150	2330	2056		----do----
4	4	3453	1	124,125,130,131,144	3453	2775		----do----
5	5	3431	1	124,126,	3431	1562		----do----
6	6	2831	1	126,127,143,146	2831	1467		----do----
7	7	2263	1	130,135,141,140,144,145,146	2263	1442		----do----
8	8	2709	1	133,139,135,136,140,144,145	2709	2018		----do----
9	9	2456	1	139,140,144,146	2456	1693	Sh. Aman Clerk MC Pehowa	----do----
10	10	1584	1	134,135,138,144,142	1584	1599		----do----
11	11	2437	1	136,139,138,140,	2437	1253		----do----
12	12	1839	1	138,141,142,	1839	1882		----do----
13	13	2484	1	136,137,138,139,142	2484	1678		----do----
14	14	2846	1	128,129,133,142,	2846	2051		----do----
15	15	1919	1	131,133,134,	1919	1780		----do----
16	16	2207	1	127,128,129,132,133,148	2207	1396		----do----
17	17	3019	1	128,129,130,131	3019	1918		----do----

Secretary
Municipal Committee
Pehowa



अति आपरगमक
समयबद्ध

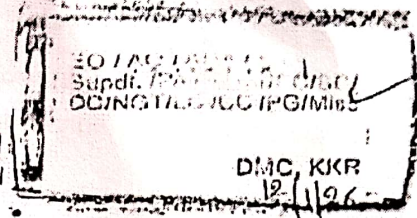
सेवा में

1. सभी आयुक्त, नगर निगम, हरियाणा राज्य।
2. सभी जिला नगर आयुक्त, हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक : 1ईई/2026/ 232
दिनांक : 05.01.2026

विषय :

Regarding formation of Area Sabha and Ward Committee.



- उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र यादी क्रमांक डी.यू.एल.बी./ ए.एम.सी.(मु0)/2026/01, दिनांक 02.01.2026 के क्रम में।
2. विषयाधीन मामले में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 31.12.2025 को महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई बैठक की कार्यवाही इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि इसमें वर्णित विन्दुओं वारे लिये गये निर्णय अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
 3. उक्त बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट में वर्णित विन्दु नं0 2 अनुसार हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत राज्य के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों व नगरपालिकाओं में वार्ड कमेटी तथा एरिया सभा का गठन किया जाना है। इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र यादी क्रमांक डी.यू.एल.बी./1ईई/2025/28505, दिनांक 26.12.2025 द्वारा भी आपसे अनुरोध किया गया था कि आपके अधीन पालिकाओं में नियमानुसार एरिया सभा का गठन करने का कष्ट करें।
 4. अतः पुनः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पालिकाओं में नियमों में वर्णित व्यवस्थानुसार वार्ड कमेटी तथा एरिया समिति का गठन करते हुये रिपोर्ट निदेशालय को दिनांक 08.01.2026 तक ई-मेल (election-dulb@ulbharyana.gov.in) पर भिजवाने का कष्ट करें।
- कृपया इसे परम अग्रता प्रदान करने का कष्ट करें।

(Signature)

(दिनेश कुमार शर्मा)
अधीक्षक (निर्वाचन)

कृत: महानिदेशक, शहरीस्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकूला। १२

पू० क्रमांक : 1एई/2020/ 233

दिनांक : 05.01.2020

उपरोक्त की एक प्रति राणी कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों, नगर परिषदों/नगर पालिकाओं को भेजकर अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों की पालना दृढ़ता से करने का कष्ट करें।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अधीक्षक (निर्वाचन)

कृते: महानिदेशक, शहरीस्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला।

सी.सी. :-

निजि सहायक/डी.जी.यू.एल.बी.

कार्यालय जिला नगर आयुक्त, कुरुक्षेत्र।

पू० क्रमांक: 9461-65 /डी०एम०सी०/के०के०आर० दिनांक 12/01/20

इस की एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को भेजकर लिखा जाता है कि उपरोक्त अनुसार वांछित रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि में भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, थानेसर।
2. सचिव, नगर पालिका लाडवा/पिहोवा/शाहाबाद/इस्माईलाबाद।

Seen after issue please.

L.D.M.C

12/1/20

जिला नगर आयुक्त
कुरुक्षेत्र।